

न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठाधीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

तारीख : 16 सितंबर 2022

अनुमान :-

1. साजिदा पत्नी अलीयास जाति मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जारिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुरती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री हवारीह पुनिया अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 08/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जारिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा जोगी आसन न० 2 के खाता संख्या 17/18 के खसरा न० 20/2 की 3.4270 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सहिदा पत्नी अलीयास दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम साजिदा पत्नी अलीयास है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम साजिदा पत्नी अलीयास दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा जोगी आसन न० 2 के खाता संख्या 17/18 के खसरा न० 20/2 की 3.4270 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम साहिदा पत्नी अलीयास के स्थान पर साजिदा पत्नी अलीयास संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेशोकार राज उपस्थित आकर जवाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जोगी आसन न० 2 के खाता संख्या 17/18 के खसरा न० 20/2 की 3.4270 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सहिदा पत्नी अलीयास दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम साजिदा पत्नी अलीयास है यही नाम अन्य

20

सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम साजिदा पत्नी अलीयास दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।


हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा जोगी आसन न0 2 के खाता संख्या 17/18 के खसरा न0 20/2 की 3.4270हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी या का नाम साहिदा पत्नी अलीयास दर्ज किया गया है जो गलत है प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम साजिदा पत्नी अलीयास है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम साजिदा पत्नी अलीयास दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बन्ध में स्वयं का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार के द्वारा ऐतराज नहीं के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा जोगी आसन न0 2 के खाता संख्या 17/18 के खसरा न0 20/2 की 3.4270हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम साहिदा पत्नी अलीयास दर्ज है के स्थान पर साजिदा उर्फ साहिदा पत्नी अलीयास संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीव तकमील जाब्दा दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 8/3/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 15/2022 अनवानी साजिदा बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. साजिदा पत्नी अलीयास जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 15/2022 अनवानी साजिदा बनाम सरकार में दिनांक 08/03/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा जोगी आसन न0 2 के खाता संख्या 17/18 के खसरा न0 20/2 की 3.4270 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम साहिदा पत्नी अलीयास दर्ज है के स्थान पर साजिदा उर्फ साहिदा पत्नी अलीयास संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)